तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
7/7/18	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, ग्राम पंचायत इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदकगण के 2087/0.50, 1643/0.05, 2081/0.16, 2085/2/0.12, 2086/2/0.06, 2086/0.35, 2083/0.17 के कब्जे काश्तकारी प्रार्थीगण के काश्तकारी खातेदारी की आराजी नहीं है अप्रार्थीगण या उक्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खाता 1653/0.35 प्रार्थीगण की खातेदारी के उत्तरी सिरे पर है। अप्रार्थीगण खाती के बल पर प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजियात में घुसकर जबरदस्ती रास्ता कायम करना चाहते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अतः उन्हें मनाही निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।	

उक्त विषय पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गये तत्वी अभिवक्तीयन में दर्ज अभिवादीगण ने बयान प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी 2081, 2085, 2086, 2083 की पश्चिमी मेड़ से सटे होकर उनके खातेदारी में खेत खाता 1653 में अपने कब्जे हेतु इस प्रार्थना पत्र की मेड़ में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का रास्ता रोकना चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी समत 69-72 खाता 730 रकबा 0.35 हाल काश्त खेगरपिछे व मौका दिखाई 5 फुट की रास्ता खेगरपिछे की चालू करने की पेश की गई।

हमने फरीकैन का अभिवक्त अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात मौके का निरीक्षण किया व सुना प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थीगण अप्राधिकृत कब्जा के खातेदार काश्तकार हैं जहाँ तक अप्रार्थीगण या खातेदारी में खेत खाता 1653 पर आने का रास्ते का प्रश्न है मौका दिखाई 5 फुट के अवलोकन से प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में छिपा चोर रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की खेत पर जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी की खेत में छिपे रास्ते नहीं दिये जाने से प्रार्थीगण को नातलाफी दुश्वारियां की प्रबल आशंका प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र मय मनाही निषेधाज्ञा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
पोस्ट पत्र नोटिस लौटकर छिपा जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एक पक्षीय मनाही निषेधाज्ञा को ता० पेशी तक कायम किया जाता है। पंजीयन दर्ज रजिस्टर में कर छिपा हुआ एक पक्ष के हम पीठा इस वक्त है। (सुरेश राम) उपखण्ड अधिकारी चोरपिछे	7/7